संख्या- 685/अड़तीस-7-2015-138नरेगा/2014

प्रेषक,

गोविन्द राजू एन0एस0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार केन्द्रांश की धनराशि रू0 81397.10लाख (रू0 आठ सौ तेरह करोड सत्तानबे लाख दस हजार मात्र) एवं राज्यांश रू0 9043.21लाख (रू0 नब्बे करोड तैतालिस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि कुल धनराशि रू0 90440.31 लाख (रू0 नौ सौ चार करोड चालीस लाख इकतीस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित व्यवस्थानुसार व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक: 06-06-1994 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अन्य अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी। कोषागार से धनराशि के आहरण करने पर मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
3. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 13 के लेखा शीर्षक " 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-02 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना -0201- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के-90/रा.10-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक: 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

संख्या- 685(1)/अड़तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(गोविन्द राजू एन0एस0)

विशेष सचिव।